संख्या-39/2020/1444/71-4-2020-एस-1/2015

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 18 दिसम्बर, 2020

विषय -:वित्तीय वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1983/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अभि0वि0-84/2020-21, दिनांक 07-10-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु व्यय समिति की बैठक दिनांक 16.10.2015 में उक्त परियोजना की मूल लागत रू0 2080.34 लाख आकलित की गयी। शासनादेश संख्या-14/2018/394/71-4-2018-एस-1/2015, दिनांक 06.11.2018 द्वारा परियोजना को पुनरीक्षित करते हुए धनराशि रू0 2369.92 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल 2168.27 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र०सं०	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि
1	105/2015/1804/71-2-2015-एस-1/2015, दिनांक 10-12-2015	512.47 लाख
2	26/2016/743/71-2-2015-एस-1/2015, दिनांक 01-03-2016	175.69 लाख
3	27/2016/694/71-2-2015-एस-1/2015, दिनांक 01-03-2016	143.98 लाख
4	18/2017/226/71-2-2015-एस-1/2015, दिनांक 03-03-2017	687.67 लाख
5	119/2017/650/71-2-2017-एस-1/2015, दिनांक 03-03-2017	144.46 लाख
6	12/2018/394/71-4-2018-एस-1/2015, दिनांक 06-11-2018	315;56 लाख
7	16/2018/1973/71-4-2018-एस-1/2015, दिनांक 06.11.2018	84.84 लाख
8	08/2020/1858/71-4-2018-एस-1/2015, दिनांक 12-02-2020	104.00 लाख
	योग	2168.27 लाख

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष-2020-21 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 83.154 लाख (रूपया तिरासी लाख पन्द्रह हजार चार सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. विश्वविद्यालय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी०एल०ए० में नहीं रखा जायेगा।
3. विश्वविद्यालय तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजनाओं में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
6. विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
8. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
9. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/ विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर का अनुमोदन करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा। ई-परियोजना पोर्टल पर परियोजना का माइलस्टोन एवं कार्यो के फोटोग्राफ अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगें।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-31-विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा शीर्षक "4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-ऐलोपैथी-05-रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29.09.2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:-39/2020/1444(1)/71-4-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबंधक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/इटावा।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।